(48)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के. सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण · क्रमांक 3058/तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.09.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 164/2014-15

राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री राधेश्याम गुगोरिया
निवासी बिहारीजी का मार्ग,
तहसील व जिला दतिया (म.प्र.) -- आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती उर्मिला गुप्ता पत्नी श्री बेदेहीशरण गुप्ता
निवासी - पंचशील नगर,
तहसील व जिला दतिया (म.प्र.) -- अनावेदकगण

श्री लखन सिंह .धाकड़ अभिभाषक आवेदक
श्री के.के.द्विवेदी, धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक ..6../09/2016)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 164/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का सारांश यह है कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक उर्मिला गुप्ता द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मौजा रामनगर, तहसील व जिला दतिया में स्थित भूमि सर्वे कमाक 24/01मिन 9 में से रकवा 0.122 आरे भूमि विकय पत्र के आधार पर कय की जाकर मौके पर विकयपत्र में अंकित चतुरसीमा के आधार पर बंटवारा कियां जाकर नक्शा में तरमीम किये जाने की मांग की गयी। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने आदेश दिनांक 24.09.2014 से बटवारा /बंटाकन किये जाने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग दतिया को प्रस्तुत की गयी, जो पारित आदेश दिनांक 13.02.2015 से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दतिया का आदेश निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी, जो पारित आदेश दिनांक 07.09.2015 से स्वीकार की गयी। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभयपक्षों के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का प्रश्नाधीन आदेश 07.09.2015 किसी भी दृष्टि से न्यायिक आदेश नहीं है। इसमें गंभीरता को ध्यान में न रखते हुये सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है, जो वरिष्ठ न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार नही है और न ही दस्तावेजी साक्ष्य

पर आधारित है। जिसे स्थिर रखने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गंभीर त्रुटि की है। विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदक द्वारा जो बंटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया था। उसमें सभी सह–खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। ऐसी स्थिति में बंटवारा आदेश विधिवत नहीं है। इसके अलावा प्रस्तुत फर्दो में किसी भी सह–खातेदार एवं स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय की कार्यवाही प्रक्रिया के अनुसार नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्को में यह भी उल्लेख किया है कि उनके द्वारा चौहद्दी खोलते हुए भूमि क्रय की थी किन्तु जो भूमि अनावेदक द्वारा क्रय की गयी है, उसमें भूमि की चौहद्दी नहीं है, ऐसी स्थिति बिना चौहद्दी के विक्रयपत्र के आधारा पर जो बंटवारा कार्यवाही की गयी है, वह विधिवत नहीं है। आवेदक द्वारा भूमि नारायण से दिनांक 07.04.2003 को क्रय की थी। उक्त विक्रयपत्र में नारायण के द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 24/1 में पूर्व में – रास्ता पुलिस लाईन, पश्चिम में – घनश्याम महते की भूमि, उत्तर में – शर्मा की भूमि तथा दक्षिण में – लक्ष्मणसिंह की भूमि पर कब्जा देकर चौहद्दी इन्द्राज कराकर मौके पर स्वत्व दिये गये थे। तभी से आवेदक बतौर मालिक भूमि पर काबिज है, जिसका विधिवत नामान्तरण एवं सीमांकन कराया गया है और धन की आवश्यकता होने पर भूमि अन्य लोगों को विक्रय की है। क्रेताओं द्वारा कब्जा प्राप्त कर अपना–अपना नामान्तरण एवं डायवर्सन करवाया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति को नजरअंदाज कर जो

आदेश पारित किया गया, वह अपास्त किये जायें एवं वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा विधिवत विचार करने के पश्चात् एक स्पींकिंग आर्डर (बोलता हुआ आदेश) पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। वर्तमान प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर देते हुए बंटवारा/बंटाकन का आदेश पारित किया है। जहाँ तक अन्य सह–खातेदारों को पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न है तो यह बड़ा सर्वे नम्बर है, जिसमें कई सह–खातेदार हैं किन्तु अनावेदक द्वारा जो भूमि क्रय की है और उसके सह–खातेदार हैं उनकी उपस्थिति में बंटवारा कार्यवाही की गयी थी, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के कार्यवाही को अवैध नहीं माना जा सकता। इस तथ्य पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह अपास्त किया जाये एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6– अभिभाषको द्वारा किये गये तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का सूक्ष्म अवलोकन किया गया, इससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष सभी सह–खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। यहाँ तक म0प्र0 शासन को पक्षकार बनाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर तहसीलदार, वृत्त दतिया द्वारा बटवारा/बंटाकन

का आदेश पारित किया है, जो विधिवत नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विचार कर जो आदेश पारित किया था, उसे द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी कारण के अपास्त किया है। आवेदक द्वारा भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से अनावेदक के पूर्व क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया था तथा आवेदक ने उपरोक्त भूमि में से भू-खण्ड विक्रय किये है। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचारण न्यायालय एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेश निरस्त रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर वर्तमान निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 07.09.2015 एवं तहसीलदार, दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/अ-27/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने हैं एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2015 विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने के आदेश दिया जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर